CNR No. UPVR010051092026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1692/2026

अनिकेत केशरी पुत्र प्रदीप केशरी निवासी सुरभि नगर कालोनी, अवलेशपुर, पोस्ट कंदवा, थाना रोहनियां, जिला–वाराणसी। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। .....अभियोजक।

अपराध सं0–140/2026
धारा–115(2), 352, 110 बी0एन0एस0
थाना–रोहनियां, वाराणसी

04–06–2026

प्रार्थी/अभियुक्त **अनिकेत केशरी** की तरफ से उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो शपथ–पत्र से समर्थित है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी राहुल कुमार पटेल के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 08–05–2026 को लगभग रात 11.00 बजे वह और उसके चाचा का लड़का सुनील पटेल तथा अन्य दो लोग अमरा शराब ठेका के पास गये थे, सामने से दो व्यक्ति रमाशंकर यादव उर्फ कल्लू तथा दुर्गा प्रजापति तथा दो अन्य लोग उसके साथ थे, जो नशे में थे। वे लोग वादी पक्ष से गाली गलौज किये और विरोध किया तो रमाशंकर यादव व उसके अन्य साथी मारपीट के लिए तैयार हो गये तथा रमाशंकर यादव ने ईंट से उसके चाचा के लड़के सुनील पटेल के सिर पर मार दिया, जिसके बाद वह वही पर बेहोश हो गया तथा उसके सिर पर गम्भीर चोटें आयी।

विवेचना के दौरान मजरूब सुनील कुमार पटेल का मेडिकल मुआयना कारा गया। मजरूब के सिर के सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट में निम्न चोटें निष्कर्षित हैं–

i- A large acute biconvex hyperdense extra-axial collection is noted in the right parietotempora region, consistent with an epidural hematoma, measuring approximately 8.8 x 3.5 cm in maximum dimensions. The hematoma causes significant mass effect with compression of the adjacent right cerebral hemisphere and effacement of the overlying cortical sulci.

ii- Linear fracture is noted involving the right parietal bone, extending into the squamous part of the right temporal bone.

iii- Diffuse right parietal scalp swelling with small hemorrhagic foci is present.

iv- Subtle ill-defined hypodensity is noted in the right high parietal lobe, likely representing vasogenic edema.

v- An additional ill-defined hypodense area is seen in the right parietotemporal lobe measurin approximately 2.2 x 2.9 cm, suspicious for a non-hemorrhagic contusion. There is marked effacement of the right lateral ventricle with leftward midline shift measuring approximately 9.4 mm. Mild dilatation of the left lateral ventricle with periventricular CSF ooze is noted, suggestive of early entrapment.

Digitally signed by SANDHYA SRIVASTAVA
Date: 2026.06.05 10:46:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वास्तविकता यह है कि उसकी खली भूसी की दुकान है। सह–अभियुक्त द्वारा उधार में उससे खली भूसी लिया गया था जिसका पैसा मांगने पर वह नाराज हो गया और बाद में उक्त अपराध में झूठे तरीके से फंसा दिया। उसकी वादी से कोई रंजिश नहीं रही है। वह वादी मुकदमा को जानता पहचानता नही है। उसकी सह–अभियुक्त से भी कोई जान पहचान नहीं है। वह निर्दोष है। अतः उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर शराब के नशे में वादी मुकदमा व उसके चचेरे भाई से गाली गलौज व मारपीट की गयी, जिससे वादी मुकदमा के चचेरे भाई के सिर पर गम्भीर चोटें आयी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि उसकी खली भूसी की दुकान है। सह–अभियुक्त द्वारा उससे उधार में खली भूसी लिया गया था जिसका पैसा मांगने पर वह नाराज हो गया और बाद में उक्त अपराध में झूठे तरीके से फंसा दिया। आरोपित धाराओं में 7 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है बाद विवेचना आरोप–पत्र आने में कितना समय लगेगा इसका निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता। प्रार्थी/अभियुक्त दोषी है अथवा निर्दोष इसे विचारण के स्तर पर ही देखा जा सकता है।

अतः मामले के समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **अनिकेत केशरी** द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को रूपया 50,000/– (पचास हजार रूपए) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत किये जाने की दशा में उसे पुलिस द्वारा उक्त अपराध में गिरफ्तार करने की स्थिति में अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

अभियुक्त इस आशय का भी अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि –

1– प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं को पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ हेतु प्रस्तुत करेगा जब भी ऐसा करना आवश्यक समझा जायेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई धमकी, वचन या लालच ऐसे व्यक्ति को नहीं देगे जो प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ हो जिससे कि उसे न्यायालय के समक्ष या पुलिस अधिकारियों के समक्ष सही तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके।

3– प्रार्थी/अभियुक्त भारत देश नहीं छोड़ेगा जब तक कि सक्षम न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

इस आदेश की एक प्रति पुलिस आयुक्त, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

दिनांक : 04–06–2026

(संध्या श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी

Steno-Md. Imran

JO Code-UP 6203